जयपुर विकास प्राधिकरणए जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक–प.2( )जविप्रा/अ.आ/एल.पी.सी./बैठक/2025/डी–   दिनांकः–

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 212वीं बैठक दिनांक 27.06.2025 को प्रातः 10:30 बजे श्रीमती आनन्दी, जयपुर विकास आयुक्त महोदया की अध्यक्षता में ''चिंतन सभा कक्ष'' में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गयेः–

क्र.सं.	जोन	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.	–	212:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 211वीं बैठक दिनांक 05.06.2025 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लम्बित अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत।	भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की 211वीं बैठक दिनांक 05.06.2025 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई एवं लम्बित अनुपालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय द्वारा लंबित प्रकरणों में शीघ्र पालना करने के निर्देश दिये गए।
2.	1	212:2	ग्राम रागपुरारूपा तह. सांगानेर के खसरा नं. 467 रकबा 2782 व.मी. किस्म बंजड 1, मास्टर प्लान में दर्शित स्पेशल एरिया भूमि को पार्किंग हेतु आरक्षित किये जाने बाबत।	ग्राम रागपुरारूपा तह. सांगानेर के खसरा नं. 467 रकबा 2782 व.मी. किस्म बंजड 1 में से 1981.90 व.मी., मास्टर प्लान में दर्शित स्पेशल एरिया भूमि को पार्किंग हेतु आरक्षित किये जाने बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर प्रस्तुत एजेण्डा के अनुसार ग्राम–रागपुरारूपा तह. सांगानेर के खसरा नं. 467 की जविप्रा स्वामित्व का आवंटन योग्य क्षेत्रफल 1981.90 व.मी. भूमि एवं मुख्य सचिव महोदय की रेलवे कॉर्डिनेशन कमेटी दिनांक 08.05.2025 में हुये निर्णयानुसार इससे लगती हुई रेलवे के स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 469 में से 1188 वर्ग मीटर भूमि, जो कि वर्तमान में पार्किंग के रूप में उपयोग आ रही है, को सम्मिलित रूप से पार्किंग प्रयोजनार्थ आरक्षित किये जाने का निर्णय किया गया। भूमि का स्वामित्व जविप्रा के नाम रहेगा एवं पार्किंग हेतु आरक्षित रहेगी। साथ ही निर्णय के अनुरूप भूमि का उल्लेख लैण्ड बैंक के रिकॉर्ड में किया जावे।
3.	2	212:3	JECC की तर्ज पर MICE सेन्टर के निर्माण हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण के विद्याधर नगर योजना के सेक्टर–7 में 6318 वर्गमीटर भूमि आवंटन	JECC की तर्ज पर MICE सेन्टर के निर्माण हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण के विद्याधर नगर योजना के सेक्टर–7 में 6318 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.07.02 13:18:00 IST
Reason: Approved

रामकिशोर व्यास भवनए इन्दिरा सर्किलए जवाहर लाल नेहरु मार्गए जयपुर.302004
दूरभाष.ꠖ91.0141.2570122द्व रू ईपीबीएक्स .910141.2569696 एक्सटेंशनरू क्ष7019द्वरू फैक्स.. 91.141.2574555
ई-मेल : {aclpc.jda@rajasthan.gove.in }

RajKaj Ref No.: 16285444

			बाबत।	एजेण्डा अनुसार MICE सेन्टर हेतु बजट घोषणा 2025–26 के परिपेक्ष्य में विद्याधर नगर योजना के सेक्टर–7 में 6318 वर्गमीटर भूमि पर्यटन कला एवं संस्कृति विभाग के नाम निः शुल्क आवंटन किये जाने की अनुशंषा के साथ राज्य सरकार को भेजे जाने का निर्णय लिया गया। जोन के एजेण्डा में उल्लेखित उक्त भूमि विद्याधर नगर योजना के अनुमोदित प्लान अनुसार सामुदायिक केन्द्र हेतु निर्धारित की गई है, जिसका MICE सेन्टर हेतु जारी किये जाने वाले आवंटन पत्र की शर्तों में स्थानीय निवासियों को इस सेंटर के उपयोग में प्राथमिकता दिये जाने एवं आवंटित भूमि में से ही वाहन पार्किंग के लिये 20 प्रतिशत भूमि उपयोग में लिये जाने का उल्लेख किया जावे।
4.	8	212:4	निजी खातेदारी की आवासीय योजना नारायण सागर विस्तार में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित 1669.22 वर्ग गज भूमि प्रस्तावित पुलिस थाना नारायण विहार, जयपुर दक्षिण के प्रशासनिक व आवासीय भवनों हेतु आवंटन करने बाबत।	निजी खातेदारी की आवासीय योजना नारायण सागर विस्तार में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित 1669.22 वर्ग गज भूमि प्रस्तावित पुलिस थाना नारायण विहार, जयपुर दक्षिण के प्रशासनिक व आवासीय भवनों हेतु आवंटन करने बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर बजट घोषणा 2025–26 के तहत पुलिस थाना नारायण विहार, जयपुर दक्षिण के प्रशासनिक व आवासीय भवनों हेतु निजी खातेदारी की आवासीय योजना नारायण सागर विस्तार में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित 1669.22 वर्ग गज भूमि निःशुल्क आवंटन की अभिशंषा के साथ राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भेजे जाने का निर्णय लिया गया।
5.	8	212:5	निजी खातेदारी की योजना पर्ल रिंगेलिया के सुविधा क्षेत्र के भूखण्ड संख्या एफ–1 क्षेत्रफल 3300 वर्ग गज (2759.13 व.मी.) का स्कूल निर्माण हेतु आवंटन करने बाबत।	निजी खातेदारी की योजना पर्ल रिंगेलिया के सुविधा क्षेत्र के भूखण्ड संख्या एफ–1 क्षेत्रफल 3300 वर्ग गज (2759.13 व.मी.) का स्कूल निर्माण हेतु आवंटन करने बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि पर्ल रिंगेलिया योजना टाउनशिप पॉलिसी वर्ष 2002 के तहत दिनांक 14.10.2002 में अनुमोदित है तथा उक्त योजना हेतु जारी अनुमोदित कार्यवाही विवरण में ''निर्णय के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में योजना [illegible] विकासकर्ता का स्वामित्व होने का [illegible]या गया है साथ ही यह भी उल्लेख किया [illegible] कि इन सुविधा क्षेत्रों का विकास भी [illegible]सकर्ता द्वारा किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.07.02 13:18:00 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 16285444

				जाना होगा।'' टाउनशिप पॉलिसी–2002 में 60 : 40 के अनुपात में योजना अनुमोदित किये जाने का उल्लेख है तथा उक्त के अतिरिक्त सुविधा क्षेत्र की भूमि का स्वामित्व विकासकर्ता का होने के क्रम में विकास का कार्य विकासकर्ता द्वारा कराये जाने का उल्लेख है। वर्ष–2011 में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के तहत् टाउनशिप पॉलिसी वर्ष 2002 के तहत् जारी योजनाओं में सुविधा क्षेत्र की आधी भूमि जन सुविधा हेतु कायम किये जाने का उल्लेख है तथा शेष आधी भूमि सुविधा क्षेत्र हेतु विकासकर्ता को नियमानुसार शुल्क लेते हुए आवंटन किये जाने के संबंध में उल्लेख किया गया है। अतः प्रकरण वर्ष 2002 की पॉलिसी के तहत अनुमोदित होने की दशा में पूर्व में प्रश्नगत योजना में अंकित बिन्दु के तहत् विकासकर्ता को पूर्ण सुविधा क्षेत्र 3300 वर्गगज आवंटन योग्य माना जावे अथवा राज्य सरकार द्वारा वर्ष–2011 में जारी आदेश एवं वर्तमान टाउनशिप पॉलिसी के अनुसार कार्यवाही की जावें के संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने के पश्चात् ही प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जाना उचित होगा। समिति द्वारा विचार–विमर्श कर प्रकरण को राज्य सरकार के समक्ष मार्गदर्शन हेतु भेजे जाने का निर्णय लिया गया।
6.	8	212:6	जविप्रा की योजना शिव एनक्लेव में लॉटरी द्वारा आवंटित भूखण्ड संख्या 03 में बढे हुए क्षेत्रफल 70.06 व.मी. का आवंटन करने बाबत।	जविप्रा की योजना शिव एनक्लेव में लॉटरी द्वारा आवंटित भूखण्ड संख्या 03 में बढे हुए क्षेत्रफल 70.06 व.मी. का आवंटन करने बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर जोन द्वारा प्रस्तावित शिव एनक्लेव योजना के भूखण्ड संख्या 3 में बढ़े हुए क्षेत्रफल 70.06 व.मी. को आवासीय आरक्षित दर के दुगने पर आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया।
7.	8	212:7	निजी खातेदारी की योजना पर्ल रिंगेलिया के सुविधा क्षेत्र के भूखण्ड संख्या एफ–2 क्षेत्रफल 3800 वर्ग गज (3177.18 व.मी.) का हॉस्पिटल निर्माण हेतु आवंटन करने बाबत।	निजी खातेदारी की योजना पर्ल रिंगेलिया के सुविधा क्षेत्र के भूखण्ड संख्या एफ–2 क्षेत्रफल 3800 वर्ग गज (3177.18 व.मी.) का हॉस्पिटल निर्माण हेतु आवंटन करने बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा नोट [illegible] गया कि पर्ल रिंगेलिया [illegible] 2002 के तहत [illegible] 14.10.[illegible] में अनुमोदित है तथा उक्त योजना हेतु [illegible] कार्यवाही

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.07.02 13:18:00 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 16285444

				विवरण में ''निर्णय के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में योजना की सभी सुविधा क्षेत्रों पर विकासकर्ता का स्वामित्व होने का निर्णय लिया गया है साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि इन सुविधा क्षेत्रों का विकास भी विकासकर्ता द्वारा किया जाना होगा।'' टाउनशिप पॉलिसी–2002 में 60 : 40 के अनुपात में योजना अनुमोदित किये जाने का उल्लेख है तथा उक्त के अतिरिक्त सुविधा क्षेत्र की भूमि का स्वामित्व विकासकर्ता का होने के क्रम में विकास का कार्य विकासकर्ता द्वारा कराये जाने का उल्लेख है। वर्ष–2011 में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के तहत् टाउनशिप पॉलिसी वर्ष 2002 के तहत् जारी योजनाओं में सुविधा क्षेत्र की आधी भूमि जन सुविधा हेतु कायम किये जाने का उल्लेख है तथा शेष आधी भूमि सुविधा क्षेत्र हेतु विकासकर्ता को नियमानुसार शुल्क लेते हुए आवंटन किये जाने के संबंध में उल्लेख किया गया है। अतः प्रकरण वर्ष 2002 की पॉलिसी के तहत अनुमोदित होने की दशा में पूर्व में प्रश्नगत योजना में अंकित बिन्दु के तहत् विकासकर्ता को पूर्ण सुविधा क्षेत्र 3300 वर्गगज आवंटन योग्य माना जावे अथवा राज्य सरकार द्वारा वर्ष–2011 में जारी आदेश एवं वर्तमान टाउनशिप पॉलिसी के अनुसार कार्यवाही की जावें के संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने के पश्चात् ही प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जाना उचित होगा। समिति द्वारा विचार–विमर्श कर प्रकरण को राज्य सरकार के समक्ष मार्गदर्शन हेतु भेजे जाने का निर्णय लिया गया।
8.	9	212:8	राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविधालय, प्रताप नगर, सांगानेर के सम्मुख मरीजो के परिजनो हेतु धर्मशाला हेतु भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।	राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविधालय, प्रताप नगर, सांगानेर के सम्मुख मरीजो के परिजनो हेतु धर्मशाला हेतु भूमि आवंटन के सम्बन्ध में एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर जविप्रा स्वामित्व की भूमि राजस्व ग्राम–श्योसिंहपुरा उर्फ श्योपुरा के खसरा नम्बर 1555 रकबा 2 हैक्ट. में से 8415.33 व.मी. भूमि, जो कि मास्टर विकास योजना 2011 में रिक्रेशनल एवं मास्टर विकास योज[illegible] में रिक्रेशनल, क्रिमेशन [illegible] में दर्शित है, [illegible] स्वास्थ्य सेवा से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होने एवं पब्लिक यूटिलिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.07.02 13:18:00 IST
Reason: Approved

				में होने से मरीजों के परिजनों हेतु धर्मशाला बाबत राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविधालय, प्रताप नगर, सांगानेर के नाम निःशुल्क आवंटन की अभिशंषा के साथ प्रस्तावित भूमि को उक्त उपयोग में लेने हेतु स्पेशल परमिशन हेतु राज्य सरकार को भेजे जाने का निर्णय लिया गया।
9.	9	212:9	निजी खातेदारी की योजना नंदन विहार के सुविधा क्षेत्र में उपलब्धता अनुसार 1973.46 वर्ग गज (1650.66 व.मी.) भूमि का आवंटन बाबत।	निजी खातेदारी की योजना नंदन विहार के सुविधा क्षेत्र में उपलब्धता अनुसार 1973.46 वर्ग गज (1650.66 व.मी.) भूमि का आवंटन बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। राज्य सरकार द्वारा वर्ष–2011 में जारी आदेश एवं वर्तमान टाउनशिप पॉलिसी के अनुसार सुविधा क्षेत्र की आधी भूमि जन सुविधा हेतु कायम किये जाने का उल्लेख है तथा शेष आधी भूमि सुविधा क्षेत्र हेतु विकासकर्ता को नियमानुसार शुल्क लेते हुए आवंटन किये जाने के संबंध में उल्लेख किया गया है। अतः समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श किया गया। चूँकि यह आवेदन प्राधिकरण की आम सूचना दिनांक 11.07.2022 के क्रम में विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया था, अतः जोन के प्रस्ताव को स्वीकार कर योजना के कुल क्षेत्रफल 111545.33 वर्गगज में अनुमोदित मानचित्र अनुसार सुविधा क्षेत्र हेतु प्रस्तावित 9524.19 वर्गगज भूमि में से 5 प्रतिशत पार्क 5577.27 वर्गगज आरक्षित रखे जाने के पश्चात शेष 3945. 92 वर्गगज सुविधा क्षेत्र में से 50 प्रतिशत (1973. 46 वर्गगज / 1650.66 वर्गमीटर) विक्रय योग्य सुविधा क्षेत्र विकासकर्ता श्री नरेन्द्र कुमार अग्रवाल को विद्यालय भवन निर्माण हेतु के नाम आरक्षित दर पर आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया तथा शेष 50 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र की भूमि को सुविधा क्षेत्र/पब्लिक यूटिलिटी हेतु ही आरक्षित रखा जाने का निर्णय लिया गया।
10.	10	212:10	नगर निगम, जयपुर ग्रेटर को बायोमेडिकल वेस्टेज ट्रीटमेंट प्लांट हेतु भूमि आवंटन बाबत।	नगर निगम, जयपुर ग्रेटर को बायोमेडिकल वेस्टेज ट्रीटमेंट प्लांट हेतु भूमि आवंटन बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर नगर निगम ग्रेटर को प्रस्तावित उद्धेश्य हेतु पूर्व में वर्ष 2021 में ग्राम रामपुरा [illegible] तहसील– सांगानेर में आवंटित भूमि [illegible] किया जाना सुनिश्चित [illegible] समिति द्वारा बायोमेडिकल वेस्टेज ट्रीटमेंट प्लांट हेतु नगर निगम जयपुर ग्रेटर को भूमि आवंटित

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation: Additional Commissioner
Date: 2025.07.02 13:18:00 IST
Reason: Approved

				किया जाना सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार किया गया जिस हेतु जोन स्तर से वर्तमान में चल रहे डम्पिंग यार्ड के साथ लगती भूमि आवंटन संबंधी प्लान निदेशक (नगर आयोजना) से विचार–विमर्श पश्चात आरक्षित दर पर आवंटन की अनुशंषा के साथ राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।
11.	12	212:11	जविप्रा की आवासीय योजना लालचन्दपुरा के भूखण्ड संख्या बी–190, बी–192, बी–194, बी–196, बी–198, बी–199, बी–201 बी–202, बी–214 कुल 9 भूखण्ड खसरा सीमा से प्रभावित होने के कारण योजना के रिक्त भूखण्डों में लॉटरी से आवंटन बाबत।	जविप्रा की आवासीय योजना लालचन्दपुरा के भूखण्ड संख्या बी–190, बी–192, बी–194, बी–196, बी–198, बी–199, बी–201 बी–202, बी–214 कुल 9 भूखण्ड खसरा सीमा से प्रभावित होने के कारण योजना के रिक्त भूखण्डों में लॉटरी से आवंटन बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर यथा प्रस्तावित लॉटरी के माध्यम से आवंटन का निर्णय किया गया। जोन स्तर से लॉटरी निकाले जाने से पूर्व समान क्षेत्रफल एवं समान सड़क का ध्यान रखते हुए भूखण्डों की रिक्ति/उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जावे। बची हुई भूमि की रिप्लानिंग कर पीडब्ल्यूसी की बैठक के समक्ष रखा जावे। आवंटित किये गये भूखण्डों एवं निरस्त किये गये भूखण्डों की सूची CPRMS/Land Bank में अद्यतन कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।
12.	14	212:12	जविप्रा की योजना हीरालाल शास्त्री नगर में सृजित भूखण्ड संख्या डी–1 से डी–16 का मौके पर 9 मीटर का पहुँच मार्ग निजी खातेदारी की भूमि से प्रभावित होने के कारण आवंटित भूखण्ड संख्या डी–3, डी–4, डी–5, डी–6, डी–8, डी–9, डी–12 व डी–16 के स्थान पर विनिमय द्वारा समान क्षेत्रफल के अन्य भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	जविप्रा की योजना हीरालाल शास्त्री नगर में सृजित भूखण्ड संख्या डी–1 से डी–16 का मौके पर 9 मीटर का पहुँच मार्ग निजी खातेदारी की भूमि से प्रभावित होने के कारण आवंटित भूखण्ड संख्या डी–3, डी–4, डी–5, डी–6, डी–8, डी–9, डी–12 व डी–16 के स्थान पर विनिमय द्वारा समान क्षेत्रफल के अन्य भूखण्ड आवंटन करने बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर यथा प्रस्तावित विनिमय को लॉटरी के माध्यम से आवंटन का निर्णय किया गया। जोन स्तर से लॉटरी निकाले जाने से पूर्व भूखण्डों की रिक्ति/उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जावे। बची हुई भूमि की रि[illegible]र रोड़ विलोपित किये [illegible] समक्ष रखा जावे। आवंटित किये गये भूखण्डों एवं निरस्त किये गये

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.07.02 13:18:00 IST
Reason: Approved

				भूखण्डों की सूची CPRMS/Land Bank में अद्यतन कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।
अध्यक्ष महोदया की अनुमति से निम्नांकित अतिरिक्त एजेण्ड़ा पर विचार–विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिये गये।				
13.	8	212:13	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 211 वीं बैठक दिनांक 05.06.2025 को एजेण्डा के बिन्दु संख्या 211:20 में लिये गये निर्णय अनुसार जविप्रा की योजना वेस्ट–वे हाईट्स में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूखण्ड संख्या एफ–4, क्षेत्रफल 5677.74 व.मी. में से 3000 व.मी. भूमि को राईजिंग राजस्थान के अंतर्गत (एम.ओ.यू नं. 11308 दिनांक 01. 02.2025) अनुष्ठान संस्थान खाटूश्यामजी को मल्टीस्पेसिएलिटी अस्पताल हेतु आरक्षित दर के 200 प्रतिशत + 15 प्रतिशत पर आवंटन में संशोधन बाबत।	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 211 वीं बैठक दिनांक 05.06.2025 को एजेण्डा के बिन्दु संख्या 211:20 में लिये गये निर्णय अनुसार जविप्रा की योजना वेस्ट–वे हाईट्स में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूखण्ड संख्या एफ–4, क्षेत्रफल 5677.74 व.मी. में से 3000 व.मी. भूमि को राईजिंग राजस्थान के अंतर्गत (एम.ओ.यू नं. 11308 दिनांक 01.02.2025) अनुष्ठान संस्थान खाटूश्यामजी को मल्टीस्पेसिएलिटी अस्पताल हेतु आरक्षित दर के 200 प्रतिशत + 15 प्रतिशत पर आवंटन कर राज्य सरकार को भेजे जाने का निर्णय लिया गया था। संस्था द्वारा दिनांक 24. 06.2025 को प्रस्तुत आवेदन अनुसार 211वीं बैठक के निर्णय में संस्थानिक आवंटन के स्थान पर व्यक्तिगत/कंपनी के नाम आवंटन की दर (आरक्षित दर का 200 + 15 प्रतिशत) किया गया है। जबकि राजस्थान सहकारी संस्था रजिस्ट्रेशन के तहत यह संस्था रजिस्टर्ड है। अतः पूर्व निर्णय पर समिति द्वारा पुनः विचार–विमर्श कर संशोधन किया जाता है कि आवासीय आरक्षित दर + 15 प्रतिशत के आधार पर आवंटन की अभिशंषा के साथ राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।
14.	11	212:14	सेज पूर्नवास योजना ग्राम पालडी परसा के आवासीय भूखण्ड संख्या 372–सी क्षेत्रफल 50 व.मी. के स्थान पर क्षेत्रफल 80.50 व.मी. होने से बढा हुआ क्षेत्रफल 30.50 व.मी. भूमि आवंटन बाबत।	सेज पूर्नवास योजना ग्राम पालडी परसा के आवासीय भूखण्ड संख्या 372–सी क्षेत्रफल 50 व.मी. के स्थान पर क्षेत्रफल 80.50 व.मी. होने से बढा हुआ क्षेत्रफल 30.50 व.मी. भूमि आवंटन बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर भूखण्ड संख्या 372 सी के बढ़े हुए क्षेत्रफल 30.50 व.मी. भूमि का आवंटन आवासीय आरक्षित दर के दोगुने पर किये जाने का निर्णय लिया गया।

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. निदेशक (वित्त/अभियांत्रिकी–I, II, III, IV/नगर–आयोजना), जविप्रा, जयपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.07.02 13:18:00 IST
Reason: Approved

6. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व / पश्चिम / एल.पी.सी. / भूमि / प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।
7. संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेंट / संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर।
8. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर।
10. उपायुक्त जोन–1 से 14, पृथ्वीराज नगर (उत्तर–प्रथम व द्वितीय) (दक्षिण–प्रथम व द्वितीय)।
11. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा को कार्यवाही विवरण स्केन कर जविप्रा वेबसाईट पर अपलोड करने के लिये।
12. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.07.02 13:18:00 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 16285444